खादी और ग्रामोद्योग आयोग को वित्तीय सहायता

402 : श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री राम जेठमलानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग को वित्तीय सहायता दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग को क्रमश. 1991–92, 1992–93 तथा 1993–94 के वर्षों के दौरान कितनी-कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ;

(ग) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सरकार द्वारा दी गई धनराशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के विस्तार और सुधार करने के लिए किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान 1993–94 तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने कुटीर उद्योग स्थापित किए गए ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग को दी गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है :–

वर्ष	योजनागत	गैर-योजनागत
	(रु. करोड़ में)	
1991–92	193.00	213.28
1992–93	193.00	161.00
1993–94	202.00	325.94

(ग) के० वा० आई० सी० ने सरकार द्वारा दी गई धनराशि का उपयोग सारे देश में खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए किया है।

(घ) वर्ष 1991–92, 1992-93 और 1993–94 के दौरान कारीगरों/कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :–

(लाख व्यक्ति)

वर्ष	रोजगार
1991–92	50.16
1992–93	52.50
1993–94	53.26

वित्तीय सहायता उपलब्ध न होने के कारण लघुउद्योगों का रुग्ण होना

403 श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री राम जेठमलानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 अगस्त, 1994 के दैनिक "ट्रिब्यून" में "वर्किंग कैपीटल प्रॉब्लम्स ऑफ एस एम आईज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश में लघु उद्योगों में बढ़ती रुग्णता का प्रमुख कारण उन्हें समय पर समुचित वित्तीय सहायता का न मिल पाना है ; और

(ग) यदि हां, तो देश में रुग्णता विशेष रूप से लघु उद्योगों में रुग्णता बढ़ने के क्या कारण हैं ; और इस प्रकार से प्रभावित उद्योगों के प्रतिशत का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लघु उद्योग क्षेत्र में संस्थागत ऋण की पर्याप्तता और संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए नियुक्त की गई नायक समिति की रिपोर्ट के अनुसार लघु क्षेत्र में रुग्णता मुख्यतया इसकी आंतरिक अनेक कमियों के कारण होती है जैसे कि सीमित वित्तीय संसाधन तथा संगठनात्मक, वित्तीय तथा प्रबंधात्मक कुशलता व विशेषज्ञों का अभाव। रुग्णता के बाहरी कारण अनेकानेक हैं, जिनमें से मुख्य ये हैं—कच्चा माल तथा बिजली सहित अन्य विनिष्टियों की उपलब्धता में कठिनाई होना, (2) विपणन संबंधी कठिनाइयां, (3) ऋण की अपर्याप्तता तथा देरी से मिलना, (4) श्रमिक समस्याएं (5) परियोजनाओं का दोषपूर्ण मूल्यांकन और (6) प्रबंधक जो अकुशल/ईमानदारी की कमी/भागीदारों में मतभेद आदि से पीड़ित होते हैं इस प्रकार पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता की अनुपलब्धता महत्वपूर्ण कारणों में से एक है जो लघु एककों में रुग्णता को बढ़ावा देता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, मार्च, 1993 के अन्त तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास लघु उद्योगों (ग्रामीण उद्योग सहित) से संबंधित कुल 30.40 लाख उधार खातों में से रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या 2.39 लाख थी जो कुल का 7.9% बनता है।

Purchase from State Government

404. SHRI VAYALAR RAVI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have decided to give no preference to the public sector industries under the State Governments in the matter of purchase for the Central Government requirements; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) and (b) The policy on purchase preforance announced by the Central Government allows purchase preference to the Central Government public enterprises only when they deal with another Central Government enterprises or a Central Government Departments Industructions issued by the Central Government for implementation by Central Government public enterprises cannot be applied to State Government enterprises.

Inordinate delay in disposal of cases in Courts

405. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Chief Justice of India has expressesd anxiety and unhappiness over the inordinate delay in the disposal of cases in the courts including the tribunals and desired to bring about improvement in the disposal therein;

(b) if so, the stips Government have taken or propose to take in the matter;

(c) whether Government are not giving the benefit of the judgment of the Supreme Court given in any one case to other similar cases,

(d) if so, the reasons therefor;

(e) the steps taken to ensure the application of the judgements in all such other similar cases to bring down the number of cases pending in the ccourts;

(f) whether there is any proposal to also advise the Supreme Court to invariably state in their judgements if that judgement is to apply in other similar cases o obviate any doubt; and

(g) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) and (b) In order to consider the problem of arrears of cases in Courts and find out ways